पत्र सं0:विधि:2(1) प्रवेश कर–(09–10)– 0910006/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अप्रैल 17 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या8 सन् 2009) द्वारा प्रवेश कर अधिनियम 2007 की धारा 4, 5, 6 एवं 12 में संशोधन किया गया है। इसका मुख्य विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) धारा 4 में राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय क्षेत्र में अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिये प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण का प्राविधान है। वर्तमान व्यवस्था में एक स्थानीय क्षेत्र में माल पर प्रवेश कर जमा हो जाने के उपरान्त यदि दूसरे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी को माल की बिक्री की जाती है तो दूसरे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी द्वारा प्रवेश कर जमा करना होता है तथा पहले स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी द्वारा जमा कर की उसे वापसी अनुमन्य है। इस व्यवस्था में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिये इस धारा में उपधारा (3–क) जोड़ते हुए यह प्राविधान किया गया है कि यदि माल पर पूर्व स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का भुगतान किया जा चुका है तथा दूसरे स्थानीय क्षेत्र के क्रेता व्यापारी द्वारा पूर्व स्थानीय क्षेत्र के विक्रेता से घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरे स्थानीय क्षेत्र में इस माल पर व्यापारी से कर का उद्ग्रहण एवं सग्रहण नहीं किया जायेगा। पहले स्थानीय क्षेत्र में माल पर जमा प्रवेश कर को घोषणा–पत्र प्राप्त करने वाले व्यापारी की ओर से जमा माना जायेगा।

इस धारा की वर्तमान उपधारा (6) को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्राविधान किया जा रहा है कि व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाये गये ऐसे माल जिसको प्रदेश के बाहर स्टाक ट्रांसफर/कन्साइन कर दिया जाता है या जिसकी अन्तर्प्रान्तीय बिक्री कर दी जाती है या भारत के बाहर निर्यात कर दिया जाता है, पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण नहीं किया जायेगा। अन्तर्प्रान्तीय बिक्री, निर्यात एवं स्टाक ट्रांसफर निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 5 एवं 6ए लागू होगी। स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के समय यह निश्चित न होने पर कि कितना माल स्थानीय क्षेत्र में बिकेगा और कितना प्रदेश के बाहर अन्तर्प्रान्तीय बिक्री या स्टाक ट्रांसफर होगा अथवा निर्यात होगा तो पूरे माल पर प्रवेश कर देना होगा तथा माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री/स्टाक ट्रांसफर/निर्यात बिक्री के पश्चात् भुगतान किये गये कर की वापसी/समायोजन अनुमन्य होगा।

(2) धारा 5 में कतिपय परिस्थितियों में कर उद्ग्रहण की वापसी का प्राविधान है। धरा 4 की प्रस्तावित उपधारा (6) में उल्लिखित परिस्थितियों में माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री/स्टाक ट्रांसफर/निर्यात बिक्री होने पर ऐसे व्यापारी को उसके द्वारा भुगतान किये गये प्रवेश कर की वापसी/समायोजन अनुमन्य होगा, तद्नुसार प्राविधान धारा 5 में किया गया है।

(3) धारा 6 में वर्तमान में प्रवेश कर के रिबेट का जो प्राविधान है उसके अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने से पूर्व यदि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उस माल पर कर के भुगतान का दायित्व हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक रिबेट अनुमन्य कर सकती है। संशोधन में किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने से पूर्व कर के भुगतान का दायित्व हो, सम्बन्धी अंश को हटा दिया गया है। इससे दोनों परिस्थितियों में प्रवेश कर में रिबेट अनुमन्य हो सकेगा, चाहें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर दायित्व स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व हो अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद।

(4) धारा 12 की उपधारा (1) में विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली का प्राविधान है। इसमें प्राविधानित है कि क्रेता द्वारा कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा (give)। इसमें "give" शब्द के स्थान पर "deliver" शब्द रख दिया गया है। इस धारा में उपधारा (6) जोड़ कर यह प्राविधान किया गया है कि विनिर्माता द्वारा क्रेता से प्राप्त करके जमा किये गये कर को क्रेता की ओर से जमा माना जायेगा। विनिर्माता द्वारा टैक्स इनवाइस या सेल इनवाइस जैसी स्थिति हो, में कर की धनराशि का उल्लेख किया जायेगा तथा इसे जमा का साक्ष्य माना जायेगा।

अतः प्रवेश कर संशोधन अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

10/4/09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।